

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 29/2017 Gems No. 2017/00093

दायरा तिथि : 15.09.2017

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 06.03.2019 फाईनल डिक्री दिनांक 01-10-2021

वादी :-

राजाराम पुत्र मालाजी जाति मीणा

निवासी कागदडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब न म

प्रतिवादीगण :-

1. किशना पुत्र छोगारामजी
2. लेहरी पुत्री छोगारामजी
3. तीजा पुत्री छोगारामजी
4. गीता पुत्री छोगारामजी
5. ललिता पुत्री छोगारामजी
6. धनी पत्नि छोगारामजी
7. मनाराम पुत्र मालाजी
8. मोहनराम पुत्र करमाजी
9. लालाराम पुत्र करमाजी
10. हजी पत्नि करमाजी
11. वसनाराम पुत्र पदमाजी
12. करमीदेवी पत्नि पकारामजी
13. जेठाराम पुत्र वकताजी के कायम मुकाम वारिसान-
अ- नेनु पत्नि जेठारामजी
ब- पकाराम पुत्र जेठारामजी
स- मांगीलाल पुत्र जेठारामजी
जातिगण मीणा निवासीगण कागदडा तहसील बाली
जिला पाली (राजस्थान)
14. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :-

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. श्री ओम दवे | अभिभाषक वादी की और से |
| 2. तहसीलदार, बाली | पैरोकार सरकार |

--: निर्णय :-

दिनांक 01-10-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा कागदडा स्थित भूमि खसरा नंबर 123 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 124 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 126 रकबा 0.79 हैक्टर, कुल खसरा 4 जुमले रकबा 1.47 हैक्टर किस्म जाव दोगम, चाही दोगम, गैर मुमकिन बेरा कुल लगान 23.98 रूपये वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन कर प्रत्येक पक्ष के हिस्से वंट में आई भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतू एक दूसरे के विपरित धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की गई। अपने वाद पत्र के समर्थन में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

वादी के वाद पत्र में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 13 बावजूद सम्मन तामील के नियत तिथि 20.11.2017 को अनुपस्थित रहे तथा उसके बाद की नियत पेशियों पर वकालतन/असालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार बाली उक्त विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से उनका जवाब अवसर भी बंद करते हुये न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश दिये गये।

पेज लगातार.....02



उपखण्ड अधिकारी
पिठना-पाली (राज.)

//02//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 29/2017 Gems No. 2017/00093
अनवान् राजाराम बनाम किशना वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/भूअ./2021/1427 दिनांक 13.08.2021 से निम्नानुसार विभाजन रिपोर्ट पेश की गई:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में रंग
करमीदेवी पत्नि पकाराम कौम मीणा सा. देह खातेदार	126	0.2880	चा.दो.	8.06	जामूनी
वसना पुत्र पदमा कौम मीणा सा. देह खातेदार	126/1	0.2880	जा.दो.	2.59	गुलाबी
पकाराम पुत्र जेठाराम हि. 1/3 मांगीलाल पुत्र जेठाराम हि. 1/3 नेनू पुत्री जेठाराम हि.1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	123/1	0.0320	जा.दो.	0.29	आसमानी
	124/1	0.0420	जा. दो.	0.38	
	126/1	0.2140	चा.दो.0.0320	0.90	
			जा.दो.0.1820	1.64	
	03	0.2880	-	3.21	
मोहनलाल पि. करमा हि0 1/3 लालाराम पि. करमा हि. 1/3 हजी पत्नि करमा हि. 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	123	0.2880	चा.दो.0.1900 जा.दो.0.0980	5.32 0.882	केसरिया
किसना पुत्र छोगाराम हि. 1/18 गीता पुत्री छोगाराम हि. 1/18 तीजा पुत्री छोगाराम हि. 1/18, धनी पत्नि छोगाराम 1/18 ललीता पुत्री छोगाराम हि. 1/18 लहरी पुत्री छोगाराम हि. 1/18 मनाराम पुत्र माला हि.1/3 राजाराम पुत्र माला हि. 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	124	0.2880	चा.दो.0.0700 जा.दो. 0.2180	1.96 1.96	पीला
शामलाती खाता:- करमीदेवी पत्नि पकाराम 1/5 किसना पुत्र छोगाराम 1/90 गीता पुत्री छोगाराम 1/90 तीजा पुत्री छोगाराम 1/90 धनी पुत्री छोगाराम 1/90 ललीता पुत्री छोगाराम 1/90 लहरी पुत्री छोगाराम 1/90 नेनू पुत्री जेठाराम 1/15 पकाराम पुत्र जेठाराम 1/15 मांगीलाल पुत्र जेठाराम 1/15 मनाराम पुत्र माला 1/15 राजाराम पुत्र माला हि. 1/15 मोहनलाल पि. करमा 1/15 लालाराम पि. करमा 1/15 हजी पत्नि करमा हि. 1/15 वसना पुत्र पदमा 1/5 कौम मीणा सा. देह खातेदार	125	0.03	गै.मु. बेरा	-	लाल

तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री ओमदवे ने बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम कागदडा पटवार हल्का, आमलिया के खसरा नंबर 123 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 124 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 125 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 126 रकबा 0.79 हैक्टर, कुल खसरा 4 जुमले रकबा 1.47 हैक्टर किस्म जाव दोगम, चाही दोगम, गैर मुमकिन बेरा कुल लगान 23.98 रुपये के संबंध तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/भूअ./2021/1427 दिनांक 13.08.2021 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अग्रानुसंगानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैं:-



पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

//03//

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 29/2017 Gems No. 2017/00093
अनवान् राजाराम बनाम किराना बगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

करमीदेवी पत्नि पकाराम कौम मीणा सा. देह खातेदार	126	0.2880	चा.दो.	8.06	जामूनी
वसना पुत्र पदमा कौम मीणा सा. देह खातेदार	126/1	0.2880	जा.दो.	2.59	गुलाबी
पकाराम पुत्र जेठाराम हि. 1/3 मांगीलाल पुत्र जेठाराम हि. 1/3 नेनू पुत्री जेठाराम हि.1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	123/1	0.0320	जा.दो.	0.29	आसमानी
	124/1	0.0420	जा. दो.	0.38	
	126/1	0.2140	चा.दो.0.0320	0.90	
	03	0.2880	—	3.21	
गोहनलाल पि. करमा हि0 1/3 लालाराम पि. करमा हि. 1/3 हजी पत्नि करमा हि. 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	123	0.2880	चा.दो.0.1900 जा.दो.0.0980	5.32 0.882	केसरिया
किसना पुत्र छोगाराम हि. 1/18 गीता पुत्री छोगाराम हि. 1/18 तीजा पुत्री छोगाराम हि. 1/18, धनी पत्नि छोगाराम 1/18 ललीता पुत्री छोगाराम हि. 1/18 लहरी पुत्री छोगाराम हि. 1/18 मनाराम पुत्र माला हि.1/3 राजाराम पुत्र माला हि. 1/3 कौम मीणा सा. देह खातेदार	124	0.2880	चा.दो.0.0700 जा.दो. 0.2180	1.96 1.96	पीला
शामलाती खाता:- करमीदेवी पत्नि पकाराम 1/5 किसना पुत्र छोगाराम 1/90 गीता पुत्री छोगाराम 1/90 तीजा पुत्री छोगाराम 1/90 धनी पुत्री छोगाराम 1/90 ललीता पुत्री छोगाराम 1/90 लहरी पुत्री छोगाराम 1/90 नेनू पुत्री जेठाराम 1/15 पकाराम पुत्र जेठाराम 1/15 मांगीलाल पुत्र जेठाराम 1/15 मनाराम पुत्र माला 1/15 राजाराम पुत्र माला हि. 1/15 गोहनलाल पि. करमा 1/15 लालाराम पि. करमा 1/15 हजी पत्नि करमा हि. 1/15 वसना पुत्र पदमा 1/5 कौम मीणा सा. देह खातेदार	125	0.03	गै.मु. बेरा	—	लाल

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 23.98 रुपये पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम हेतु तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, आमलिया को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अचल प्रकाश)
आई.ए.एस.

उपसहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

